

CHILD AND ADOLESCENT LABOUR (PROHIBITION AND REGULATION) ACT, 1986

[Act No. 61 of Year 1986]

An Act to prohibit the engagement of children in all occupations and to prohibit the engagement of adolescents in hazardous occupations and processes and the matters connected therewith or incidental thereto.

PART I PRELIMINARY

1. Short title extent and commencement

- (1) This Act may be called the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986.
- (2) It extends to the whole of India.
- (3) The provisions of this Act, other than Part III, shall come into force at once, and Part III shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different States and for different classes of establishment.

2. Definitions

In this Act, unless the context otherwise requires:

- (i) "adolescent" means a person who has completed his fourteenth year of age but has not completed his eighteenth year;
- (ia) "child" means a person who has not completed his fourteenth year of age or such age as may be specified in the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, whichever is more;
- (ii) "appropriate government" means, in relation to an establishment under the control of the Central Government or a railway administration or a major port or a mine or oilfield, the Central Government, and in all other cases, the State Government;
- (iii) "day" means period of twenty-four hours beginning at mid-night;
- (iv) "establishment" includes a ship, commercial establishment, work-shop, farms,
- (v) residential hotel, restaurant, eating house, theatre or other place of public amusement or entertainment;
- (vi) "family", in relation to an occupier, means the individual, the wife or husband, as the case may be, of such individual, and their children, brother or sister of such individual;
- (vii) "occupier", in relation to an establishment or a workshop, means the person who has the ultimate control over the affairs of the establishment or workshop;
- (viii) "port authority" means any authority administering a port;
- (ix) "prescribed" means prescribed by rules made under section 18;
- (x) "week" means a period of seven days beginning at midnight on Saturday night or such other night as may be approved in writing for a particular area by the Inspector;
- (xi) "workshop" means any premises (including the precincts thereof) wherein any industrial process is carried on, but does not include any premises to which the provisions of section 67 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), for the time being, apply.

PART II

PROHIBITION OF EMPLOYMENT OF CHILDREN IN CERTAIN OCCUPATIONS AND PROCESSES

3. Prohibition of employment of children in certain occupations and processes

- (1) No child shall be employed or permitted to work in any occupation or process.
- (2) Nothing in sub-section (1) shall apply where the child:
 - (a) helps his family or family enterprise, which is other than any hazardous occupations or processes set forth in the Schedule, after his school hours or during vacations;
 - (b) works as an artist in an audio-visual entertainment industry, including advertisement, films, television serials or any such other entertainment or sports activities except the circus, subject to such conditions and safety measures, as may be prescribed:

Provided that no such work under this clause shall affect the school education of the child.

Explanation. —For the purposes of this section, the expression,

- (a) "family" in relation to a child, means his mother, father, brother, sister and father's sister and brother and mother's sister and brother;
- (b) "family enterprise" means any work, profession, manufacture or business which is performed by the members of the family with the engagement of other persons;

- (c) "artist" means a child who performs or practices any work as a hobby or profession directly involving him as an actor, singer, sports person or in such other activity as may be prescribed relating to the entertainment or sports activities falling under clause (b) of sub-section (2).

3A. Prohibition of employment of adolescents in certain hazardous occupations and processes

No adolescent shall be employed or permitted to work in any of the hazardous occupations or processes set forth in the Schedule:

Provided that the Central Government may, by notification, specify the nature of the non-hazardous work to which an adolescent may be permitted to work under this Act."

4. Power to amend the Schedule

The Central Government, after giving by notification in the Official Gazette, not less than three months' notice of its intention so to do, may, by like notification, add any occupation or process to the Schedule and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly.

5. Technical Advisory Committee

- (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, constitute an advisory committee to be called the Technical Advisory Committee (hereafter in this section referred to as the committee) to advise the Central Government for the purpose of addition of occupations and processes to the Schedule.
- (2) The Committee shall consist of a Chairman and such other members not exceeding ten, as may be appointed by the Central Government.
- (3) The Committee shall meet as often as it may consider necessary and shall have power to regulate its own procedure.
- (4) The committee may, if it deems it necessary so to do, constitute one or more sub-committees and may appoint to any such sub-committee, whether generally or for the consideration of any particular matter, any person who is not a member of the committee.
- (5) The term of office of, the manner of filling casual vacancies in the office of, and the allowances, if any, payable to, the chairman and other members of the committee, and the conditions and restriction subject to which the committee may appoint any person who is not a member of the committee as a member of any of its sub-committees shall be such as may be prescribed.

PART III

REGULATION OF CONDITIONS OF WORK OF ADOLESCENTS

6. Application of part

The provisions of this part shall apply to an establishment or a class of establishment in which none of the occupations or processes referred to in section 3A is carried on.

7. Hours and period of work

- (1) No adolescent shall be required or permitted to work in any establishment in excess of such number of hours as may be prescribed for such establishment or class of establishments.
- (2) The period of work on each day shall be so fixed that no period shall exceed three hours and that no adolescent shall work for more than three hours before he has had an interval for rest for at least one hour.
- (3) The period of work of a adolescent shall be so arranged that inclusive of his interval for rest, under sub-section (2), it shall not be spread over more than six hours, including the time spent in waiting for work on any day.
- (4) No adolescent shall be permitted or required to work between 7 p.m. and 8 p.m.
- (5) No adolescent shall be required or permitted to work overtime.
- (6) No adolescent shall be required or permitted to work in any establishment on any day on which he has already been working in another establishment.

8. Weekly holidays

Every adolescent employed in an establishment shall be allowed in each week, a holiday of one whole day, which day shall be specified by the occupier in a notice permanently exhibited in a conspicuous place in the establishment and the day so specified shall not be altered by the occupier more than once in three months.

9. Notice to Inspector

- (1) Every occupier in relation to an establishment in which a adolescent was employed or permitted to work immediately before the date of commencement of this Act in relation to such establishment shall, within a period of thirty days from such commencement, send to the Inspector within whose local limits the establishment is situated, a written notice containing the following particulars, namely:
 - (a) the name and situation of the establishment;
 - (b) the name of the person in actual management of the establishment;
 - (c) the address to which communications relating to the establishment should be sent; and
 - (d) the nature of the occupation or process carried on in the establishment.

- (2) Every occupier, in relation to an establishment, who employs, or permits to work, any adolescent after the date of commencement of this Act in relation to such establishment, shall, within a period of thirty days from the date of such employment, send to the Inspector within whose local limits the establishment is situated, a written notice containing the particulars as are mentioned in sub-section (1).

Explanation: For the purposes of sub-sections (1) and (2), "date of commencement of this Act, in relation to an establishment" means the date of bringing into force of this act in relation to such establishment.

- (3) Nothing in sections 7, 8 and 9 shall apply to any establishment where in any process is carried on by the occupier with the aid of his family or to any school established by, or receiving assistance or recognition from, government.

10. Disputes as to age

If any question arises between an Inspector and an occupier as to the age of any adolescent who is employed or is permitted to work by him in an establishment, the question shall, in the absence of the certificate as to the age of such adolescent granted by the prescribed medical authority, be referred by the Inspector for decision to the prescribed medical authority.

11. Maintenance of register

These shall be maintained by every occupier in respect of adolescent employed or permitted to work in any establishment, a register to be available for inspection by an Inspector at all times during working hours or when work is being carried on in any such establishment, showing:

- the name and date of birth of every adolescent so employed or permitted to work;
- hours and periods of work of any such adolescent and the intervals of rest to which he is entitled;
- the nature of work of any such adolescent; and
- such other particulars as may be prescribed.

12. Display of notice containing Abstract of sections 3A and 14

Every railway administration, every port authority and every occupier shall cause to be displayed in a conspicuous and accessible place at every station on its railway or within the limits of a port or at the place of work, as the case may be, a notice in the local language and in the English language containing an abstract of Sections 3A and 14.

13. Health and Safety

- The appropriate government may, by notification in the Official Gazette, make rules for the health and safety of the adolescents employed or permitted to work in any establishment or class of establishments.
- Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the said rules may provide for all or any of the following matters, namely:
 - Cleanliness in the place of work and its freedom from nuisance;
 - disposal of wastes and effluents;
 - ventilation and temperature;
 - dust and fume;
 - artificial humidification;
 - lighting;
 - drinking water;
 - latrine and urinals;
 - spittoons;
 - fencing of machinery;
 - work at or near machinery in motion;
 - employment of children on dangerous machines;
 - instructions, training and supervision in relation to employment of children on dangerous machines;
 - device for cutting off power;
 - self-acting machines;
 - easing of new machinery;
 - floor, stairs and means of access;
 - pits, sumps, openings in floors, etc.
 - Excessive weights;
 - Protection of eyes;
 - Explosive or inflammable dust, gas etc;
 - Precautions in case of fire;
 - Maintenance of buildings, and
 - Safety of buildings and machinery.

PART IV

MISCELLANEOUS

14. Penalties

- (1) Whoever employs any child or permits any child to work in contravention of the provisions of section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years or with fine which shall not be less than twenty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees or with both.

Provided that the parents or guardians of such children shall not be punished unless they permit such child for commercial purposes in contravention of the provisions of section 3.

- (1A). Whoever employs any adolescent or permits any adolescent to work in contravention of the provisions of section 3A shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years or with fine which shall not be less than twenty thousand rupees but which may extend to fifty thousand rupees, or with both:

Provided that the parents or guardians of such adolescent shall not be punished unless they permit such adolescent to work in contravention of the provisions of section 3A.

- (1B). Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (1A) the parents or guardians of any child or adolescent referred to in section 3 or section 3A, shall not be liable for punishment, in case of the first offence.
- (2) Whoever, having been convicted of an offence under section 3 or section 3A commits a like offence afterwards, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years.
- (3) Whoever:
- [Omitted]
 - [Omitted]
 - [Omitted]
 - fails to comply with or contravenes any other provisions of this Act or the rules made thereunder, shall be punishable with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

14A. Offences to be Cognizable

Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence committed by an employer and punishable under section 3 or section 3A shall be cognizable

14B. Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund

- The appropriate Government shall constitute a Fund in every district or for two or more districts to be called the Child and Adolescent Labour Rehabilitation Fund to which the amount of the fine realized from the employer of the child and adolescent, within the jurisdiction of such district or districts, shall be credited.
- The appropriate Government shall credit an amount of fifteen thousand rupees to the Fund for each child or adolescent for whom the fine amount has been credited under sub-section (1).
- The amount credited to the Fund under sub-sections (1) and (2) shall be deposited in such banks or invested in such manner, as the appropriate Government may decide.
- The amount deposited or invested, as the case may be under sub-section (3), and the interest accrued on it, shall be paid to the child or adolescent in whose favour such amount is credited, in such manner as may be prescribed.

Explanation: — For the purposes of appropriate Government, the Central Government shall include the Administrator or the Lieutenant Governor of a Union territory under article 239A of the Constitution.

14C. Rehabilitation of rescued child or adolescent

The child or adolescent, who is employed in contravention of the provisions of this Act and rescued, shall be rehabilitated in accordance with the laws for the time being in force.

14D. Compounding of offences

- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the District Magistrate may, on the application of the accused person, compound any offence committed for the first time by him, under sub-section (3) of section 14 or any offence committed by an accused person being parent or a guardian, in such manner and on payment of such amount to the appropriate Government, as may be prescribed.
- If the accused fails to pay such amount for composition of the offence, then, the proceedings shall be continued against such person in accordance with the provisions of this Act.
- Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.
- Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought in writing, to the notice of the Court in which the prosecution is pending and on the approval of the

composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded, shall be discharged.

15. Modified application of certain laws in relation to penalties

- (1) Where any person is found guilty and convicted of contravention of any of the provisions mentioned in sub-section (2), he shall be liable to penalties provided in sub-sections (1) and (2) of section 14 of this Act and not under the Acts in which those provisions are contained.
- (2) The provisions referred to in sub-section (1) are the provisions mentioned below:
 - (a) section 67 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948);
 - (b) section 40 of Mines Act, 1952 (35 of 1952);
 - (c) section 109 of Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958); and
 - (d) section 21 of the Motor Transport Workers Act, 1961 (27 of 1961).

16. Procedure relating to offences

- (1) Any person, police officer or Inspector may file a complaint of the commission of an offence under this Act in any court of competent jurisdiction.
- (2) Every certificate as to the age of a child which has been granted by a prescribed medical authority shall, for the purposes of this Act, be conclusive evidence as to the age of the child to whom it relates.
- (3) No court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Magistrate of the first class shall try any offence under this Act.

17. Appointment of Inspectors

The appropriate government may appoint Inspectors for the purposes of securing compliance with the provisions of this Act and any Inspector so appointed shall be deemed to be a public servant within the meaning of the Indian Penal Code (45 of 1860).

17A. District Magistrate to implement the provisions

The appropriate Government may confer such powers and impose such duties on a District Magistrate as may be necessary, to ensure that the provisions of this Act are properly carried out and the District Magistrate may specify the officer, subordinate to him, who shall exercise all or any of the powers, and perform all or any of the duties, so conferred or imposed and the local limits within which such powers or duties shall be carried out by the officer as may be prescribed.

17B. Inspection and monitoring

The appropriate Government shall make or cause to be made periodic inspection of the places at which the employment of children is prohibited and hazardous occupations or processes are carried out at such intervals as it thinks fit, and monitor the issues, relating to the provisions of this Act.

18. Power to make rules

- (1) The appropriate government may, by notification in the Official Gazette and subject to the condition of previous publication, make rules for carrying into effect the provisions of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:
 - (a) the conditions and the safety measures under clause (b) of sub-section (2) and other activities under clause (b) to Explanation of sub-section (2) of section 3;
 - (b) the term of office of, the manner of filling casual vacancies of, and the allowances payable to, the Chairman and members of the Technical Advisory Committee and the conditions and restrictions subject to which a non-member may be appointed to a sub-committee under sub-section (5) of section 5;
 - (c) number of hours for which a adolescent may be required or permitted to work under sub-section (1) of section 7;
 - (d) grant of certificates of age in respect of young persons in employment or seeking employment, the medical authorities which may issue such certificate, the form of such certificate, the charges which may be made thereunder and the manner in which such certificate may be issued.

PROVIDED that no charge shall be made for the issue of any such certificate if the application is accompanied by evidence of age deemed satisfactory by the authority concerned,

- (e) the other particulars which a register maintained under section 11 should contain.
- (f) the manner of payment of amount to the child or adolescent under sub-section (4) of section 14B;
- (g) the manner of composition of the offence and payment of amount to the appropriate Government under sub-section (1) of section 14D;
- (h) the powers to be exercised and the duties to be performed by the officer specified and the local limits within which such powers or duties shall be carried out under section 17A.

19. Rules and notifications to be laid before Parliament or State Legislature

- (1) Every rule made under this Act by the Central Government and every notification issued under section 4, shall be laid, as soon as may be after it is

made or issued, before each House of Parliament, while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or notification or both Houses agree that the rule or notification should not be made or issued, the rule or notification shall thereafter have effect only in such modified form or to be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or notification.

- (2) Every rule made by a State Government under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislature of that State.

20. Certain other provisions of law not barred

Subject to the provisions contained in section 15, the provisions of this Act and the rules made thereunder shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of the Factories Act, 1948, the Plantation Labour Act, 1951 and the Mines Act, 1952.

21. Power to remove difficulties

- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty:

PROVIDED that no such order shall be made after the expiry of a period of three years from the date on which this Act receives the assent of the President.

- (2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Houses of Parliament.

22. Repeal and saving

- (1) The Employment of CHILDREN Act, 1938 (26 of 1938) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have been done or taken under the Act so repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

23. Amendment of Act 11 of 1948

In section 2 of the Minimum Wages Act, 1948:

- (i) for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:
 - (a) "adolescent" means a person who has completed his fourteenth year of age but has not completed his eighteenth year;
 - (aa) "adult" means a person who has completed his eighteenth year of age;
- (ii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:
 - (bb) "child" means a person who has not completed his fourteenth year of age;

24. Amendment of Act 69 of 1951

In the Plantations Labour Act, 1951,

- (a) in section 2, in clauses (a) and (c), for the word "fifteenth", the word "fourteenth" shall be substituted;
- (b) section 24 shall be omitted;
- (c) in section 26, in the opening portion, the words "who has completed his twelfth year" shall be omitted.

25. Amendment of Act 44 of 1958

In the Merchant Shipping Act, 1958, in section 109, for the word "fifteen" the word "fourteen" shall be substituted.

26. Amendment of Act 27 of 1961

In the Motor Transport Workers Act, 1961, in section 2, in clauses (A) and (c), for the word "fifteenth", the word "fourteenth" shall be substituted.

वाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986

[वर्ष 1986 का अधिनियम सं. 61]

सभी व्यवसायों में बच्चों को नियोजित करने और खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में और इसके साथ जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों में किशोरों को नियोजित करने को निषिद्ध करने के लिए एक अधिनियम।

भाग I

प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक सीमा और प्रारंभ

- (1) इस अधिनियम को बाल और किशोर श्रम) निषेध एवं विनियमन (अधिनियम, 1986) कहा जा सकता है।
- (2) यह पूरे भारत में लागू है।
- (3) इस अधिनियम के प्रावधान, भाग III के अलावा, एक बार में लागू हो जाएंगे, और भाग III ऐसे समय पर लागू होगा जैसा कि केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निपुणता और विभिन्न तिथियों पर विभिन्न राज्यों और प्रविष्टानों के विभिन्न वर्गों के लिए नियुक्त किया जाएगा।

2. परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता नहीं हो:

- (i) "किशोर" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के चौदहवें वर्ष को पूरा कर लिया है परन्तु अपने अठारहवें वर्ष को पूरा नहीं किया है;
- (ii) "बालक" का अर्थ है एक व्यक्ति जिसने अपनी उम्र के चौदहवें वर्ष या ऐसी आयु को पूरा नहीं किया है जिसे बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जो भी ज्यादा हो;
- (iii) "उपयुक्त सरकार" का मतलब है, एक प्रविष्टान के संबंध में जो केन्द्र सरकार या रेलवे प्रशासन या एक प्रमुख बंदरगाह या एक खान या तेल क्षेत्र, केंद्र सरकार, और अन्य सभी मामलों में, राज्य सरकार के नियंत्रण के तहत;
- (iv) "दिन" का अर्थ है मध्य रात्री से शुरू होने वाली चौबीस घंटे की अवधि;
- (v) "प्रविष्टान" में जहाज, वाणिज्यिक प्रविष्टान, वर्क शॉप, खेत, शामिल है;
- (vi) आवासीय होटल, रेस्तरां, भोजन घर, रंगमंच या सार्वजनिक मनोरंजन या मनोरंजन के अन्य स्थान;
- (vii) "परिवार" का एक मालिक के संबंध में अर्थ है व्यक्ति, पत्नी या पति, ऐसे व्यक्ति का जो भी मामला हो, और उनके बच्चे, ऐसे व्यक्ति के भाई या बहन;
- (viii) "मालिक" का किसी प्रविष्टान या कार्यशाला के संबंध में अर्थ है, वह व्यक्ति जिसका प्रविष्टान या कार्यशाला के मामलों पर परम नियंत्रण है;
- (ix) "बंदरगाह प्राधिकरण" का मतलब है कोई भी प्राधिकरण जो बंदरगाह के प्रशासन को संभाल रही है;
- (x) "निर्धारित" का अर्थ है धारा 18 के तहत निर्धारित नियम;
- (xi) "सप्ताह" का अर्थ है शनिवार की रात को मध्याह्न से शुरू होने वाले सात दिनों की अवधि या ऐसी अन्य रात जिसे निरीक्षक द्वारा किसी विशेष क्षेत्र के लिए लिखित रूप में अनुमोदित किया गया हो;
- (xii) "कार्यशाला" का अर्थ है कोई भी परिसर (उसके अहाते सहित) जिसमें कोई भी औद्योगिक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसे परिसर को शामिल नहीं किया गया है जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) की धारा 67 के प्रावधान अभी समय के लिये लागू हैं।

भाग II

कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों को नियोजित करना निषिद्ध

3. कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों को रोजगार देना निषिद्ध

- (1) किसी भी बच्चे को किसी भी व्यवसाय में या प्रक्रिया में नियोजित करने या काम करने की आज्ञा नहीं दी जाये।
- (2) उपधारा (1) का कुछ भी लागू नहीं होगा जहां बच्चा:
 - (क) अपने परिवार या परिवार के उद्यम में स्कूल के घंटों के बाद या अवकाश के दौरान मदद करता है, जो किसी भी खतरनाक व्यवसाय या अनुसूची में निर्धारित प्रक्रियाओं के अलावा है;
 - (ख) सर्कस को छोड़कर ऐसी शर्तों और सुरक्षा उपायों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं, विज्ञापन, फिल्म, टेलीविजन धारावाहिक या किसी भी ऐसे अन्य मनोरंजन या खेल गतिविधियों सहित किसी ऑडियो-विजुअल मनोरंजन उद्योग में एक कलाकार के रूप में काम करता है;

बशर्ते इस खंड के तहत ऐसा कोई भी काम बच्चे की स्कूल शिक्षा को प्रभावित नहीं करे।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति,

- (क) "परिवार" बच्चे के मामले में का अर्थ है उसके माता, पिता, भाई, बहन और पिता के बहन और भाई और माता के बहन और भाई;
- (ख) "परिवारिक व्यवसाय" का अर्थ है कोई भी कार्य, पेशा, निर्माण या व्यापार जो परिवार के सदस्यों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ मिल कर किया जाता है;
- (ग) "कलाकार" का अर्थ है एक बच्चा जो एक शौक या पेशे के रूप में किसी भी काम को करता है जो उसे सीधे एक अभिनेता, गायक, खेलकूद व्यक्ति या ऐसी अन्य गतिविधि में शामिल करता है जो कि मनोरंजन या खेल गतिविधियों से संबंधित निर्धारित हो और उप-धारा 2 (के खंड) बी के तहत आती हो।

3क. कुछ खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों का नियोजन निषेध

किसी भी किशोर का आगे अनुसूची में उल्लिखित किसी भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजन या उसे काम करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी:

बशर्ते केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा गैर-खतरनाक कार्य की प्रकृति को निर्दिष्ट करे जिसमें इस अधिनियम के तहत किशोर को काम करने की अनुमति हो सकती है।

4. अनुसूची को संशोधित करने का अधिकार

केन्द्रीय सरकार, अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना देने के बाद, ऐसा करने के इरादे से तीन महीने से कम का नोटिस नहीं, अधिसूचना द्वारा अनुसूची में कोई भी व्यवसाय या प्रक्रिया जोड़ सकती है और उसके बाद अनुसूची को तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।

5. तकनीकी सलाहकार समिति

- (1) केंद्र सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक सलाहकार समिति का गठन कर सकती है जिसे तकनीकी सलाहकार समिति) इस धारा में इसके बाद समिति के रूप में संदर्भित किया गया है (कहा जाएगा जो केंद्र सरकार को अनुसूची और प्रक्रियाओं को जोड़ने के मकसद के लिये सलाह देगी।
- (2) समिति में एक अध्यक्ष और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे, दस से ज्यादा नहीं, जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जा सकते हैं।
- (3) समिति जितनी बार आवश्यक हो, मिल सकती है और इसको अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।
- (4) समिति, यदि समझे कि ऐसा करना आवश्यक है, तो एक या एक से अधिक उप-समितियों का गठन और किसी भी ऐसी उप-समिति में, आम या किसी विशेष मामले के विचार के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता, जो समिति का सदस्य ना हो।
- (5) समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के कार्यकाल की अवधि, आकस्मिक रिक्तियों को भरने के तरीके, और भत्ते, यदि कोई हों, जो उनको देय हों, और शर्तों और प्रतिबंध जिसके अधीन समिति किसी भी ऐसे व्यक्ति, जो समिति का सदस्य नहीं है, कि किसी भी उप-समितियों के सदस्य के रूप में नियुक्ति कर सकती है, ऐसी हों, जिसे निर्धारित किया जा सकता है।

भाग III

किशोरों द्वारा काम किये जाने की शर्तों का विनियम

6. भाग का प्रयोग

इस भाग के प्रावधान किसी ऐसे प्रविष्टान या प्रविष्टान की श्रेणी के लिए लागू होंगे जिसमें धारा 3 ए में निर्दिष्ट व्यवसाय या प्रक्रियाओं में से कोई भी की नहीं जा रही होगी।

7. काम के घंटे और अवधि

- (1) इस तरह की स्थापना या प्रविष्टानों की श्रेणी के लिए निर्धारित घंटों की संख्या से ज्यादा किसी भी किशोर को किसी भी प्रविष्टान में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमति नहीं होगी।
- (2) प्रत्येक दिन काम की अवधि इस तरह तय की जाए कि कोई भी अवधि तीन घंटे से अधिक नहीं हो और कोई भी किशोर कम से कम एक घंटे के आराम के अंतराल लेने से पहले तीन से ज्यादा घंटे तक काम ना करे।
- (3) एक किशोर के कार्य की अवधि की व्यवस्था इस तरह की जाये कि उप-धारा) 2 (के तहत उसके आराम अंतराल को शामिल करके, यह छ : घंटे से अधिक तक फैली ना हो, जिसमें किसी भी दिन काम के लिए इंतजार में बिताया गया समय भी शामिल हो।
- (4) किसी भी किशोर को 7 बजे शाम से और 8 बजे सुबह के बीच में काम करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (5) किसी भी किशोर को ओवरटाईम करने की आवश्यकता नहीं होगी या अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (6) किसी भी किशोर को किसी भी प्रविष्टान में किसी भी उस दिन काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिस दिन वह पहले से ही किसी अन्य प्रविष्टान में काम कर रहा है।

8. साप्ताहिक छुट्टियाँ

एक प्रविष्टान में कार्यरत हर किशोर को प्रत्येक सप्ताह में एक पूरे दिन की अवकाश की अनुमति दी जाएगी, उस दिन को एक सूचना में निर्दिष्ट किया जाएगा, जो स्थायी रूप से प्रविष्टान में एक विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित होगी और जो दिन निर्दिष्ट किया जायेगा, उसे कब्जेदार द्वारा तीन महीनों में एक बार से अधिक बार परिवर्तित नहीं किया जाये।

9. निरीक्षक को सूचना

- (1) एक प्रविष्टान के संबंध में प्रत्येक नियोक्ता जहां एक किशोर को नियोजित किया गया था या इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से तुरन्त पहले काम करने की अनुमति दी गई थी, ऐसे प्रविष्टान के संबंध में तीस दिनों की अवधि के भीतर, निरीक्षक, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर प्रविष्टान स्थित है, एक लिखित नोटिस जिसमें निम्न विवरण शामिल होंगे, भेजेगा, अर्थात्:

- (क) प्रविष्टान का नाम और स्थिति;
- (ख) उस व्यक्ति का नाम जो प्रविष्टान के असल प्रबंधन में है;
- (ग) पता जिस पर प्रविष्टान से संबंधित संचार को भेजा जाना चाहिए; और
- (घ) प्रविष्टान में किये जाने वाले व्यवसाय या प्रक्रिया की प्रकृति।

- (2) किसी प्रविष्टान के संबंध में प्रत्येक नियोक्ता, जो इस तरह के प्रविष्टान के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि के बाद किसी भी किशोर को नियोजित करता या काम करने के लिए अनुमति देता है, वो, ऐसे रोजगार की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर, निरीक्षक, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर प्रविष्टान स्थित है उप-धारा) 1 (में वर्णित विवरणों सहित एक लिखित सूचना भेजे।

स्पष्टीकरण : उप-धाराओं) 1 (और) 2 (के प्रयोजनों के लिए, "एक प्रविष्टान के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख" का अर्थ है इस तरह के प्रविष्टान के संबंध इस अधिनियम के कार्यन्वयन की तारीख।

- (3) धारा 7, 8 और 9 का कुछ भी किसी भी प्रविष्टान पर लागू नहीं होगा, जहां मालिक कोई भी प्रक्रिया अपने परिवार की सहायता से कर रहा है या कोई भी स्कूल सरकार द्वारा स्थापित हो या सरकार से सहायता या मान्यता प्राप्त किया हुआ हो।

10. उम्र के बारे विवाद

यदि निरीक्षक और मालिक के बीच किसी भी किशोर की उम्र बारे में कोई सवाल खड़ा हो जाता है जिसे किसी प्रविष्टान में नियोजित किया गया हो या काम करने की अनुमति दी गई हो, उसके द्वारा कार्य करने की अनुमति है, तो इस तरह के किशोर की उम्र के निर्धारित चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में निरीक्षक, निर्धारित चिकित्सा प्राधिकरण को फैसले के निर्दिष्ट कर सकता है।

11. रजिस्टर का रखरखाव

यह किसी भी प्रविष्टान में काम करने के लिए नियोजित या काम करने की अनुमति दिये गये किशोरों के संबंध में बनाए रखा जाए, यह रजिस्टर काम के घंटों के दौरान या जब ऐसे किसी भी प्रविष्टान में काम किया जा रहा है, प्रत्येक समय निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहे:

- (क) प्रत्येक किशोर जिसे नियोजित किया गया है या काम करने की अनुमति है, उस का नाम और जन्म तिथि;

- (ख) किसी ऐसे किशोर के काम के घंटे और समय और आराम के अंतराल जिसके लिए वह हकदार है;
- (ग) किसी ऐसे किशोर के काम की प्रकृति; और
- (घ) ऐसे अन्य विवरण जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

12. धारा 3 ए और 14 के सार सहित सूचना का प्रदर्शन

प्रत्येक रेलवे प्रशासन, प्रत्येक बंदरगाह प्राधिकरण और हर मालिक को अपने हर स्टेशन पर रेलवे पर या किसी बंदरगाह की सीमा के भीतर या काम के स्थान पर ,जैसा भी मामला हो ,पर एक विशिष्ट और सुलभ जगह में स्थानीय भाषा और अंग्रेजी भाषा में धारा 3 ए और 14 के सार को प्रदर्शित करें।

13. सेहत और सुरक्षा

- (1) उपयुक्त सरकार, अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की श्रेणी में कार्यरत किशोरों की स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियम बना सकती है।
- (2) पूर्वगामी प्रावधानों की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, नियम सभी या निम्न मामलों में सभी या निम्नलिखित में से किसी मामले के लिये हो सकता है ,अर्थात्:
 - (क) किसी भी कार्य स्थान पर सफाई और उसका रूकावटों से मुक्त होना;
 - (ख) अपशिष्ट पदार्थों और अपशिष्ट प्रवाह का निपटान
 - (ग) वायु-संचार और तापमान;
 - (घ) धूल और धुआँ;
 - (ङ) नकली आर्द्रिकरण;
 - (च) प्रकाश;
 - (छ) पीने का पानी;
 - (ज) शौचालय और मुत्रालय;
 - (झ) स्प्रिटोन्स ;
 - (ञ) मशीनरी की फेंसिंग;
 - (ट) गतिशील मशीनरी पर या उस के पास काम;
 - (ठ) खतरनाक मशीनों पर बच्चों का नियोजन;
 - (ड) खतरनाक मशीनों पर बच्चों के रोजगार के संबंध में निर्देश, प्रशिक्षण और पर्यवेक्षण;
 - (ढ) बिजली काटने के लिए डिवाइस;
 - (ण) स्वचालित मशीनें;
 - (त) नई मशीनरी की सहजता;
 - (थ) फ्रश, सीढ़ियाँ और पहुंच के मार्ग;
 - (द) गद्दे, लौदीयाँ, फर्श में खुलाव, आदि
 - (ध) अत्यधिक भार;
 - (न) आंखों की सुरक्षा;
 - (न) विस्फोटक या ज्वलनशील धूल, गैस आदि;
 - (प) आग के मामले में सावधानियाँ;
 - (फ) इमारतों का रखरखाव, और
 - (ब) इमारतों और मशीनरी की सुरक्षा

भाग IV विविध

14. दंड

- (1) जो कोई भी धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन में किसी बच्चे को नियोजित करता है या किसी भी बच्चे को काम करने के लिए अनुमति देता है, वह उस अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा जो छ :महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो दो साल तक बढ़ सकता है या जुर्माने के साथ जो बीस हजार रुपये से कम हो, लेकिन जो पचास हजार रुपए तक बढ़ सकता है या दोनों के साथ।

बशर्त इस तरह के बच्चों के माता-पिता या अभिभावक को दंडित नहीं किया जाए, जब तक वे इस तरह के बच्चे को व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए अनुमति नहीं देते।

- (1क) जो कोई भी धारा 3 ए के प्रावधानों के उल्लंघन में किशोर को नियोजित करता है या काम करने के लिए किसी किशोर को अनुमति देता है, उस अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा जो छ :महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो दो साल तक बढ़ सकता है या जुर्माना जो बीस हजार रुपये से कम नहीं हो सकता है लेकिन जो पचास हजार रुपए तक बढ़ सकता है , या दोनों के साथ:

बशर्त इस तरह के किशोरों के माता-पिता या अभिभावकों को दंडित नहीं किया जाएगा जब तक वे इस तरह के किशोर को धारा 3 ए के प्रावधानों के उल्लंघन में काम करने की अनुमति नहीं देते।

- (1ख). उप-धाराओं 1 (और) 1ए (में शामिल किसी भी चीज के बावजूद धारा 3 या धारा 3 ए में उल्लिखित बच्चे या किशोर के अभिभावक पहले अपराध के मामले में सजा के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
- (2) जो भी, धारा 3 या धारा 3 ए के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उसके बाद उसी तरह का अपराध करेगा, वह उस अवधि के लिए कारावास के साथ दंडनीय होगा जो छ : महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जो दो साल तक बढ़ सकता है।
- (3) जो कोई भी:

- (क) [खत्म किया गया]
- (ख) [खत्म किया गया]
- (ग) [खत्म किया गया]

- (घ) इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी अन्य प्रावधान का अनुपालन करने में विफल रहता है या उसका उल्लंघन करता है, वो साधारण कारावास के साथ दंडनीय होगा जो एक महीने तक हो सकता है या जुर्माना जो दस हजार रुपए तक हो सकता है या दोनों।

14क. संज्ञेय अपराध

अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी नियोजता द्वारा किए गए किसी भी अपराध और धारा 3 या धारा 3 ए के तहत दंडनीय संज्ञेय होगा।

14ख. बाल और किशोर श्रम पुनर्वास निधि

- (1) उपयुक्त सरकार प्रत्येक जिले में या दो या दो से अधिक जिलों के लिए बाल और किशोरों के लिए बाल और किशोरों श्रम पुनर्वास निधि नामक एक फंड का गठन करेगी जिसके लिए बच्चे और किशोर के नियोजता से लिये गये जुमनि की राशि को ऐसे जिले या जिलों के अधिकार क्षेत्र में जमा की जायेगा।
- (2) उपयुक्त सरकार प्रत्येक बच्चे या किशोर के लिए पंद्रह हजार रुपए की राशि को जमा करेगी जिसके लिए उप-धारा) 1 (के तहत जुमनि की राशि जमा की गई है।
- (3) उप-धारा) 1 (और) 2 (के तहत फंड में जमा राशि को ऐसे बैंकों में जमा किया जाएगा या इस तरह निवेश किया जाएगा, जैसा कि उपयुक्त सरकार फैसला है।
- (4) जमा राशि या निवेश, जैसा भी मामला होगा ,उप-धारा) 3 (के अधीन हो सकता है, और उस पर अर्जित ब्याज का भुगतान ,इस ढंग से जैसे निर्धारित किया जा सकता है ,उस बच्चे या किशोर को किया जाएगा, जिसके पक्ष में इस तरह की राशि जमा की गई है।

स्पष्टीकरण - :उपयुक्त सरकार के प्रयोजनों के लिए, संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत केंद्र सरकार के प्रशासक या संघीय क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होंगे।

14ग. बचाये गये बच्चे या किशोर का पुनर्वास

बच्चा या किशोर, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में नियोजित हैं और बचाया गया है का पुनर्वास उस समय लागू कानून के अनुसार किया जाएगा।

14ड़. अपराधों का निपटारे

- (1) अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973में निहित कुछ भी होने के बावजूद, जिला मजिस्ट्रेट, आरोपी व्यक्ति के आवेदन पर, धारा 14 की उप-धारा) 3 (के तहत उसके द्वारा पहली बार प्रतिबद्ध किसी अपराध या आरोपी व्यक्ति द्वारा माता-पिता या अभिभावक होने की सूत में अपराध किये जाने पर उपयुक्त सरकार को ऐसी राशि का भुगतान करने पर ,जिसे निर्धारित किया जा सकता है , का निपटारे कर सकता है।
- (2) यदि अभियुक्त अपराध के निपटारे के लिए ऐसी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही जारी रहेगी।
- (3) जहां किसी भी अभियोजन से पहले किसी अपराध का निपटारे होता है तो, इस तरह के अपराध के संबंध में अपराधी के खिलाफ कोई अभियोग स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में इस तरह के अपराध का निपटारे हुआ है।
- (4) जहां किसी भी अपराध का निपटारे किसी भी अभियोजन के बाद होता है ,ऐसे निपटारे को लिखित रूप में, अदालत के संज्ञान में लाया जाएगा जिसमें अभियोजन लंबित है। अपराध के निपटारे के अनुमोदन पर और जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अपराध का निपटारे किया जा रहा है ,उस उस से मुक्त कर दिया जायेगा।

15. जुमनि के संबंध में कुछ कानूनों के संशोधित आवेदन

- (1) जहां किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है और उप-धारा) 2 (में वर्णित किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया जाता है, वह इस धारा 14 के उप-धाराओं 1 (और) 2 (में दिए गए दंड के लिए उत्तरदायी होगा और उस अधिनियम और उन अधिनियमों के अंतर्गत नहीं, जिसमें ये प्रावधान शामिल हैं।
- (2) उपधारा) 1 (में निर्दिष्ट प्रावधान नीचे दिए गए प्रावधान हैं:

(क) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 की 63) की धारा 67;

(ख) खदान अधिनियम, 1952 (1952 की 35) की धारा 40;

(ग) मर्वेंट शिपिंग अधिनियम, 1958(1958का144) की धारा109 ; तथा

(घ) मोटर ट्रांसपोर्ट श्रमिक अधिनियम, 1961 (1961 का 27) की धारा 21

16. अपराधों से संबंधित प्रक्रिया

- (1) कोई भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या इंस्पेक्टर इस अधिनियम के तहत अपराध किये जाने की शिकायत किसी भी सक्षम न्यायालय के किसी भी अदालत में दर्ज कर सकते हैं।
- (2) निर्धारित प्रमाण पत्र द्वारा दिए गए किसी बच्चे की आयु के अनुसार प्रत्येक प्रमाण पत्र, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, जिनके संबंध में यह संबंधित है, की उम्र के अनुसार निर्णायक सबूत होना चाहिए।
- (3) एक महानगरीय मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से कम कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगा।

17. निरीक्षकों की नियुक्ति

उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्यों के लिए निरीक्षकों को नियुक्त कर सकती है और नियुक्त किसी भी इंस्पेक्टर को भारतीय दंड संहिता) 1860 के 45) के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक कर्मचारी माना जाएगा।

17क. जिला मजिस्ट्रेट प्रावधानों को लागू करेंगे

उपयुक्त सरकार ऐसी शक्तियों को प्रदान कर सकती है और जिलाधिकारी को ऐसे कर्तव्य दे सकती है जो जरूरी हो सकती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अधिनियम के प्रावधानों की पालना ठीक से की जा रही है और जिला मजिस्ट्रेट उस अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकता है जो उसके अधीन हो, जो सभी या किसी भी शक्तियों का प्रयोग करे, और सभी या किसी कर्तव्यों को निभाये ,जो उसे प्रदत्त या लागू की गई हैं और उन शक्तियों या कर्तव्यों को स्थानीय सीमाओं के भीतर निभाये जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

17ख. निरीक्षण और निगरानी

उपयुक्त सरकार उन जगहों का आवधिक निरीक्षण करेगी या जिनमें बच्चों का रोजगार निषिद्ध है और खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया ऐसे अंतराल पर किए जाते हैं, जैसा उन्हें उचित लगता है, और इस अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित मुद्दों की निगरानी करता है।

18. नियम बनाने की शक्ति

- (1) उपयुक्त सरकार, अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की स्थिति के अधीन, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी शक्ति की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी मामले के लिए बनाये जा सकते हैं, अर्थात्:

- (क) उपधारा) 2 (के खंड (ख) के तहत स्थितियों और सुरक्षा उपायों और धारा 3 की उप-धारा)2) के खंड (ख) स्पष्टीकरण के लिए खंड) बी (के तहत अन्य गतिविधियों;

- (ख) तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि ,आकस्मिक रिक्तियों को भरने के तरीके, और भत्ते, जो उनको देय हों, और शर्तें और प्रतिबंध जिसके अधीन समिति किसी गैर-सदस्य को उप-समिति के सदस्य के धारा 5 की उपधारा (5) के तहत नियुक्त कर सकती है।
- (ग) घंटों की संख्या जिसके लिए धारा 7 की उपधारा 1 (के तहत एक किशोर की आवश्यकता या काम करने की अनुमति दी जा सकती है या धारा 7 के उप-धारा) 1 (के तहत हो सकती है;
- (घ) नियोजित या नियोजन मांगने वाले युवाओं के संबंध में उम्र के प्रमाण पत्र का जारी करना, चिकित्सा प्राधिकारी जो ऐसे प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, ऐसे प्रमाण पत्र का प्रपत्र, शुल्क जो उसके तहत हो सकते हैं और जिस तरह से इस तरह के प्रमाण पत्र जारी किये जायेंगे।

बशर्ते कि किसी भी ऐसे प्रमाण पत्र को जारी करने का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा यदि आवेदन के साथ संबंधित प्राधिकरण द्वारा संतोषजनक माना जाने वाला आयु का सबूत है,

- (ङ) अन्य विवरण जो धारा 11 के तहत बनाए गए एक रजिस्टर में शामिल होने चाहिए।
- (च) धारा 14 बी की उपधारा) 4 (के तहत बच्चे या किशोर को राशि का भुगतान करने का तरीका;
- (छ) धारा 14 डी की उपधारा) 1 (के अधीन उपयुक्त सरकार को अपराध के निपटारे और राशि को भुगतान करने का तरीका;
- (ज) अधिकारी द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वाह निर्दिष्ट किए गए और स्थानीय सीमाएं जिनके तहत ऐसी शक्तियां या कर्तव्यों को धारा 17 ए के तहत प्रयोग किया जाएगा।

19. संसद या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाने वाले नियम और सूचनाएं

- (1) केंद्र सरकार द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाए गए हर नियम और धारा 4 के तहत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के प्रत्येक सदन में ,जितनी जल्दी हो सके ,बनाये जाने या जारी किए जाने के बाद रखी जाए, जबकि यह सत्र में कुल तीस दिनों की अवधि के लिये, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और अगर, सत्र के समापन से पहले या सत्र के उत्तरार्द्ध सत्रों के तुरंत बाद, दोनों सदनों नियम में या सूचना में कोई संशोधन करने में सहमत हों या दोनों सदनों सहमत हों कि नियम या अधिसूचना बनायी या जारी नहीं की जानी चाहिए, उसके बाद नियम या अधिसूचना इस तरह के संशोधित रूप में लागू होगी या प्रभावी नहीं होगी, जैसा भी मामला हो; इसलिए, हालांकि, ऐसा कोई संशोधन या विरूपण उस नियम या अधिसूचना के पहले किए गए कुछ भी की वेधता के लिए पूर्वग्रह के बिना होगा।
- (2) इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को उस राज्य के विधान मंडल इसके पहले बनाये जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके रखा जाये।

20. कानून के कुछ अन्य प्रावधानों को प्रतिबंधित नहीं किया गया है

धारा 15 में निहित प्रावधानों के अधीन, इसके तहत बनाए गए प्रावधान और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, कारखाना अधिनियम, 1948, बागान श्रम अधिनियम, 1951 और खदान अधिनियम ,1952 के अतिरिक्त होंगे और प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होंगे।

21. कठिनाइयों को दूर करने के लिए शक्तियां

- (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस तरह के प्रावधान बनाये जो इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत ना हों, जो इसे आवश्यक या समीचीन कठिनाई को हटाने के लिए दिखे:
- बशर्ते कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
- (2) इस धारा के तहत बनाया गया प्रत्येक आदेश ,उस को बनाये जाने जल्द से जल्द संसद के सदनों के समक्ष रखा जाये।

22. रद्द करना और वचत

- (1) बच्चों के रोजगार अधिनियम, 1938(1938के26) को इस द्वारा रद्द कर दिया गया है।
- (2) इस तरह के रद्द किये जाने के बावजूद, जो कुछ भी किया गया है या जो कोई कार्रवाई की गई है या की जानी है या जो इस अधिनियम के तहत किया गया है ,जो रद्द किया गया है, इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत नहीं है, को ऐसा किया जाना समझा जाए या इस अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत किया गया माना जाये।

23. 1948 के अधिनियम 11 में संशोधन

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948की धारा 2 में:

- (i) खंड) ए (के लिए, निम्नलिखित धाराओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
- (क) "किशोर" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिस ने अपनी उम्र का चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है लेकिन अपना अठारहवां वर्ष पूरा नहीं किया है;
- (कक) "वयस्क" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिस ने अपनी उम्र का अठारहवां वर्ष पूरा कर लिया है;
- (ii) खंड) बी (के बाद, निम्नलिखित खंड को डाला जाएगा, अर्थात्:
- (बीबी) "बच्चा" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने अपनी उम्र के चौदहवें वर्ष को पूरा नहीं किया है;

24. 1951 के अधिनियम 69 में संशोधन

बागान श्रम अधिनियम, 1951 में,

- (क) धारा 2 में, खंड) ए (और) सी (में), "पंद्रहवीं" शब्द के लिए, "चौदहवें" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) धारा 24 को खत्म किया जायेगा;
- (ग) धारा 26 के, शुरूआती भाग में, "जिसने अपने बाहरवें वर्ष को पूरा कर लिया है" शब्द खत्म किये जायेंगे।

25. 1958 के अधिनियम 44 में संशोधन

मर्वेंट शिपमेंट अधिनियम, 1958 धारा 109 में, "पंद्रह" शब्द के लिए "चौदह" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

26. 1961 के अधिनियम 27 में संशोधन

मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स अधिनियम, 1961, धारा 2 में, खंड (ए) और (सी) में, "पंद्रहवीं" शब्द के लिए, "चौदहवें" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

अनुसूची

[धारा 3ए]

- (1) खादानें
- (2) ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक
- (3) खतरनाक प्रक्रिया

स्पष्टीकरण - इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, "खतरनाक प्रक्रिया" का अर्थ कारखाना अधिनियम, 1948 के खंड (सीबी) में दिया गया है।